C/N- 07/21

21/8/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थी स. 1 लगायत 5 की ओर से आज दिनांक तक कोई उप. नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है एवं अप्रार्थी स. 7 की ओर से आज दिनांक तक अनेक अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने के कारण अप्रार्थी स. 7 का जवाब प्रा.पत्र का अवसर बन्द किया जाता है। वकील प्रार्थी के द्वारा प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज. काश्त. अधि. परत्क पक्षीय बहस की गई।
अतः पत्रावली वास्ते प्रा.पत्र पर आदेश हेतु दि. 8/9/23 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

08/9/23 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप. प्रार्थी का प्रा. पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राज.काश्त.अधि. 1955 का स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से पत्रावली में शा. मि. किया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 07/2021

1. श्रीमती रूखसाना पत्नि श्री अब्दुल कय्यूम जाति मुसलमान निवासी छातड़ी रोड़, मदीना मस्जिद के पास, ग्राम गगवाना तहसील व जिला अजमेर राज0

प्रार्थी

बनाम

1. नाथू पुत्र श्री उगमा जाति गुर्जर निवासी ग्राम मगरी तहसील व जिला अजमेर राज0
2. गणपत लाल पुत्र श्री ज्वारा जाति रेगर निवासी ग्राम कुचील तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
3. ओम प्रकाश पुत्र श्री सुखदेव जाति रेगर निवासी ग्राम ढाणी पुरोहितान तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
4. कमला देवी पुत्री श्री ज्वारा जाति रेगर निवासी ग्राम कुचील तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
5. जीवनी देवी पुत्री श्री ज्वारा जाति रेगर निवासी ग्राम कुचील तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0
7. आई.डी.बी.आई. बैंक लिमिटेड, शाखा किशनगढ़ जिला अजमेर राज0

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांकः 08/09/2023

उपस्थितः श्री हनुमान प्रसाद शर्मा प्रार्थीया अभिभाषक
अप्रार्थीगण अभिभाषक

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा जरिये वकील श्री हनुमान प्रसाद शर्मा के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251(क) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में दावा किया है कि प्रार्थीया के स्वामित्व, खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि ख0नं0 1090 रकबा 10–03–00 किस्म बारानी अव्वल ग्राम कुचील पटवार हल्का कुचील तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राज0 में स्थित है। प्रार्थीया की खातेदारी भूमि ख0नं0 1090 के उत्तर दिशा में अप्रार्थी सं0 3 लगायत 5 की भूमि ख0नं0 1089/1 व ख0नं0 1089/1 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी सं0 2 की भूमि ख0नं0 1089 तथा ख0नं0 1089 के पश्चिम दिशा में अप्रार्थी सं0 1 की भूमि ख0नं0 1094 स्थित है तथा ख0नं0 1094 के पश्चिम दिशा में रिकार्डेड रास्ता ख0नं0

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

1093 स्थित है। ग्राम कुचील के रिकार्डेड रास्ता ख0नं0 1093 से रास्ता अप्रार्थी सं0 1 व 2 की भूमि के दक्षिण दिशा की सींव के सहारे–सहारे रास्ता आगे जाकर अप्रार्थी सं0 3, 4 व 5 की कृषि भूमि ख0नं0 1089/1 में दक्षिण दिशा से घुमाव खाकर रास्ता आगे प्रार्थीया की भूमि ख0नं0 1090 में जाकर पंहुचता है। इस प्रकार प्रार्थीया की भूमि ख0नं0 1090 से रास्ता अप्रार्थी सं0 1 से 5 की भूमियों में से होता हुआ ग्राम कुचील के रिकार्डेड रास्ता ख0नं0 1093 में जाकर मिलता है। प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 1090 के चारों दिशाओं में निजी खातेदारों की कृषि भूमि स्थित है, प्रार्थीया की भूमि ख0नं0 1090 में पंहुचने के लिये प्रार्थीया के पास उक्त वर्णित व नक्शे में लाल रंग से दर्शित ए,बी,सी रास्ता ग्राम कुचील के रिकार्डेड रास्ता ख0नं0 1093 में जाकर मिलता है। प्रार्थीया व उसके परिवारजन इसी रास्ते से अर्से दराज से गाड़ी, ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि यन्त्र, चारा उपज आदि अपने खेत में लाते ले जाते है। प्रार्थीया के पास इसके अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया के पास यही एक मात्र लघुत्तम व निकटतम रास्ता है जो प्रार्थीया के खेत ख0नं0 1090 से शुरू होकर अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 के खेतों की दक्षिणी सींव–सींव होता हुआ ग्राम कुचील के रिकार्डेड रास्तते ख0नं0 1093 तक जाता है। उपरोक्त रास्ते की चौड़ाई काश्त करने के लिये वर्तमान मशीनरी युग में काश्त हेतु मशीनी उपकरण एवं कृषि उपज लाने–ले जाने के लिए कम से कम 30 फीट रास्ता होना आवश्यक व जरूरी है। इस रास्ते के अलावा प्रार्थीया के पास अपनी भूमि में आवागमन के लिये कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 आये दिन प्रार्थीया के रास्ते के आवागमन में बाधा उत्पन्न करते रहते है। अप्रार्थी सं0 1 से 5 व उसके परिवारजन ने दिनांक 06.12.2020 को प्रार्थीया को रास्ते से आने–जाने में बाधा उत्पन्न करते हुए प्रार्थीया व उसके परिजनों को धमकी दी कि वह अब रास्ता हमेशा के लिये बन्द करके प्रार्थीया व उसके परिजनों का आवागमन हमेशा के लिये बन्द करके रहेगा। अप्रार्थी सं0 1 से 5 को प्रार्थीया की कृषि भूमि ख0नं0 1090 तक पंहुचने वाले रास्ते को बन्द करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। कानूनन प्रत्येक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि तक पंहुचने के लिए रास्ता होना आवश्यक माना गया है। प्रार्थीया ने अप्रार्थी सं0 1 से 5 से मौखिक रूप से निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित व नक्शे में दर्शित रास्ते को सहमति से करार द्वारा कायम कर लिया जावे। किन्तु अप्रार्थी सं0 1 से 5 ने कतई इन्कार कर दिया। इस कारण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के तहत् किसी भी काश्तकार को अपनी भूमि पर आने–जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

पड़ौसी काश्तकारों से रास्ते की मांग कर रास्ता कायम करवा सकता है। प्रार्थीया को विधि द्वारा रास्ते का अधिकार प्रदत्त किया गया है। इस कारण प्रार्थीया को रास्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। प्रार्थीया को अपनी कृषि भूमि ख0नं0 1090 में पंहुच के लिए प्रार्थना पत्र में वर्णित व नक्शे में लाल रंग से तथा ए,बी,सी मार्क से दर्शित रास्ता ही एक मात्र लघुत्तम निकटतम, सुविधाजनक रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त रास्ता राजस्व नक्शे में डोटेड लाईन से दर्ज है किन्तु पुख्ता तरमीम नहीं होने से प्रार्थीया व अप्रार्थी सं0 1 से 5 के मध्य विवाद होता रहता है। इस कारण रास्ता कायम किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इसका इन्द्राज किया जाना व राजस्व नक्शे में तरमीम किया जाना आवश्यक है, ताकि भविष्य में किसी भी का कोई वाद विवाद उत्पन्न नहीं हो। प्रार्थीया रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने वाली भूमि की डी0एल0सी0 दर अनुसार राशि अदा करने एवं माननीय न्यायालय जिस प्रकार भी आदेश पारित करना उचित समझती है, उक्त आदेश की पालना हेतु प्रार्थीया तत्पर व तैयार है। वाद कारण दिनांक 06.12.2020 को अप्रार्थी सं0 1 से 5 द्वारा प्रार्थीया के रास्ते के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न करने पर तथा अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 द्वारा आपसी सहमती से रास्ता कायम करवाने से मना करने पर उत्पन्न हुआ जो दिन प्रतिदिन जारी है। अतः प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित एवं संलग्न नक्शे में दर्शित लाल रंग के ए, बी, सी 30 फीट चौड़े रास्ते को कायम कर प्रार्थीया की ग्रामं कुचील में स्थित भूमि ख0नं0 1090 में आने जाने का रास्ता कायम किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने तथा रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे तथा उक्त रास्ता प्रार्थीया की भूमि तक पंहुच के लिये कायम होने के आदेश प्रदान करावे।

3. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 के बावजुद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई तथा अप्रार्थी सं0 7 की ओर से वकील श्री विमल सिंह बाफना उपस्थित किन्तु उनके द्वारा जवाब पेश नहीं करने पर उनका जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया एवं अप्रार्थी सं0 6 पैरोकार सरकार की ओर से उनके प्रतिनिधि द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

3.1 अप्रार्थी संख्या 6 द्वारा दिनांक 04.01.2023 को बिन्दुवार रिपोर्ट पेश कर अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि ग्राम कुचील के ख0नं0 1090 में आवागमन हेतु ख0नं0 1089/1

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

रकबा 1.3915 हैक्टेयर में से रास्ते हेतु रकबा 0.0384 हैक्टेयर भूमि, ख0नं0 1089 रकबा 0.6957 हैक्टेयर में से रास्ते हेतु रकबा 0.0180 हैक्टेयर भूमि एवं ख0नं0 1094 रकबा 1.5937 हैक्टेयर में से रास्ते हेतु रकबा 0.0960 हैक्टेयर भूमि आवागमन हेतु प्रभावित है। उपरोक्त भूमि की वर्तमान राजस्व डी0एल0सी0 दर 601302/– रूपये प्रति हैक्टेयर है। आवेदित भूमि में आवागमन हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त राजस्व रिकॉर्ड मे रेकार्डेड रास्ता नहीं है। उक्त प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं लघुतम है। जिसका नजरी मानचित्र हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ पेश किया है, जो निम्न प्रकार है :–

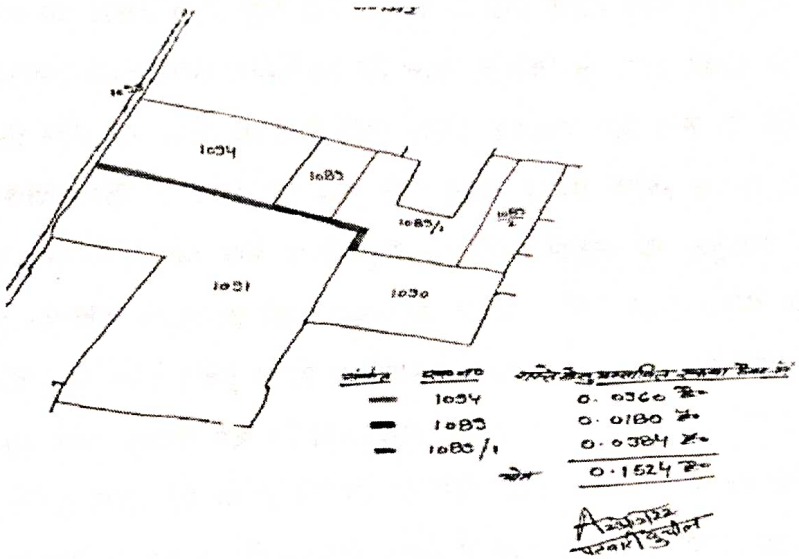

4. हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील प्रार्थीया की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

4.1 वकील प्रार्थीया द्वारा अपनी बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम कुचील के रिकार्डेड रास्ता ख0नं0 1093 से रास्ता अप्रार्थी सं0 1 व 2 की भूमि के दक्षिण दिशा की सींव के सहारे–सहारे रास्ता आगे जाकर अप्रार्थी सं0 3, 4 व 5 की कृषि भूमि ख0नं0 1089/1 में दक्षिण दिशा से घुमाव खाकर रास्ता आगे प्रार्थीया की भूमि ख0नं0 1090 में जाकर पंहुचता है। इस प्रकार प्रार्थीया की भूमि ख0नं0 1090 से रास्ता अप्रार्थी सं0 1 से 5 की भूमियों में से होता हुआ ग्राम कुचील के रिकार्डेड रास्ता ख0नं0 1093 में जाकर मिलता है। प्रार्थीया की खातेदारी की कृषि भूमि ख0नं0 1090 के चारों दिशाओं में निजी खातेदारों की कृषि भूमि स्थित है, प्रार्थीया की भूमि ख0नं0 1090 में पंहुचने के लिये प्रार्थीया के पास उक्त वर्णित व नक्शे में लाल रंग से दर्शित ए,बी,सी रास्ता ग्राम कुचील के रिकार्डेड रास्ता ख0नं0 1093 में जाकर मिलता है। प्रार्थीया व उसके परिवारजन इसी रास्ते से अर्से दराज से गाड़ी, ट्रेक्टर ट्रोली, कृषि यन्त्र, चारा उपज आदि अपने खेत में लाते

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

ले जाते है। प्रार्थीया के पास इसके अलावा अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीया के पास यही एक मात्र लघुत्तम व निकटतम रास्ता है जो प्रार्थीया के खेत ख0नं0 1090 से शुरू होकर अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 के खेतों की दक्षिणी सींव–सींव होता हुआ ग्राम कुचील के रिकार्डेड रास्तते ख0नं0 1093 तक जाता है। उपरोक्त रास्ते की चौड़ाई काश्त करने के लिये वर्तमान मशीनरी युग में काश्त हेतु मशीनी उपकरण एवं कृषि उपज लाने–ले जाने के लिए कम से कम 30 फीट रास्ता होना आवश्यक व जरूरी है। अप्रार्थी सं0 1 से 5 को प्रार्थीया की कृषि भूमि ख0नं0 1090 तक पंहुचने वाले रास्ते को बन्द करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। कानूनन प्रत्येक काश्तकार को अपनी कृषि भूमि तक पंहुचने के लिए रास्ता होना आवश्यक माना गया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) के तहत् किसी भी काश्तकार को अपनी भूमि पर आने–जाने के लिए रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी पड़ौसी काश्तकारों से रास्ते की मांग कर रास्ता कायम करवा सकता है। प्रार्थीया रास्ते के रूप में प्रयुक्त होने वाली भूमि की डी0एल0सी0 दर अनुसार राशि अदा करने एवं माननीय न्यायालय जिस प्रकार भी आदेश पारित करना उचित समझती है, उक्त आदेश की पालना हेतु तत्पर व तैयार है। अतः प्रार्थीया द्वारा निवेदन किया कि प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित एवं संलग्न नक्शे में दर्शित लाल रंग के ए, बी, सी 30 फीट चौड़े रास्ते को कायम कर प्रार्थीया की ग्राम कुचील में स्थित भूमि ख0नं0 1090 में आने जाने का रास्ता कायम किया जाकर राजस्व नक्शे में तरमीम किये जाने तथा रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करावे तथा उक्त रास्ता प्रार्थीया की भूमि तक पंहुच के लिये कायम होने के आदेश प्रदान करावे।

5. हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीया की ग्राम कुचील स्थित खातेदारी भूमि ख0नं0 1090 में आवागमन हेतु कोई रिकॉर्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा प्रार्थीया द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी मानचित्र अनुसार एवं पेरोकार सरकार द्वारा पेश रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीया की खातेदारी भूमि ख0नं0 1090 में आवागमन ख0नं0 1089/1, ख0नं0 1089 एवं ख0नं0 1094 से होना स्पष्ट होता है एवं उक्त रास्ता निकटतम रास्ता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम कुचील स्थित अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमियों ख0नं0 1089/1, ख0नं0 1089 एवं ख0नं0 1094 में से ही प्रार्थीया का वर्तमान में आवागमन है एवं प्रार्थीया की भूमि में आवागमन हेतु अन्य कोई

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

वैकल्पिक एवं निकटतम रास्ता नहीं होने के कारण अप्रार्थी सं 3 लगायत 5 की भूमि ख0नं0 1089/1 रकबा 0.13915 हैक्टेयर में से रास्ते हेतु रकबा 0.0384 हैक्टेयर भूमि, अप्रार्थी सं0 2 की भूमि ख0नं0 1089 रकबा 0.6957 हैक्टेयर में से रास्ते हेतु रकबा 0.0180 हैक्टेयर भूमि एवं अप्रार्थी सं0 1 की भूमि ख0नं0 1094 रकबा 1.5937 हैक्टेयर में से रास्ते हेतु रकबा 0.0960 हैक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी0एल0सी0 दर 601302/– रू0 प्रति हैक्टेयर के अनुसार ख0नं0 1089/1 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0384 हैक्टेयर भूमि की मुआवजा राशि 23090/– रू0 एवं इसकी दोगुणा राशि 46180/– रू0, ख0नं0 1089 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0180 हैक्टेयर भूमि की मुआवजा राशि 10823/– रू0 एवं इसकी दोगुणा राशि 21646/– रू0 एवं ख0नं0 1094 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 0.0960 हैक्टेयर भूमि की मुआवजा राशि 57725/– रू0 एवं इसकी दोगुणा राशि 115450/– रू0 होती है, जो प्रार्थीया द्वारा सम्बन्धित खसरा नम्बर के खातेदार को तहसीलदार किशनगढ़ के माध्यम से देय होगी।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार किशनगढ़ को आदेशित किया जाता है कि रास्ते हेतु अधिग्रहित कुल रकबा 0.1524 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा राशि 183276/– रू0 अक्षरे एक लाख तय्यासी हजार दो सौ छियत्तर रूपये प्रार्थीया द्वारा राजकोष में जमा कराने के पश्चात् आप उक्त रास्ते हेतु अधिग्रहित भूमि रकबा 0.1524 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रिकार्ड में रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करे एवं प्रार्थीया द्वारा जमा राशि को आदेश में वर्णितानुसार अप्रार्थीगण को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 08/09/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)